



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 775]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 18, 2019/माघ 29, 1940

No. 775]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 18, 2019/MAGHA 29, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2019

सं. 56/2015-2020

विषय: अनन्य रूप से निजी भूमि (पट्टा भूमि सहित) से प्राप्त कृषि मूल से लिए गए रेड सैन्डर्स वुड की निर्यात नीति के संबंध में।

का.आ. 899(अ).—समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा आईटीसी (एचएस), 2018, की अनुसूची-2 (निर्यात नीति) के अध्याय-44 के अंतर्गत रेड सैन्डर्स वुड की निर्यात नीति में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

2. निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची-2 के अध्याय 44 में क्रम सं० 188 के सामने मौजूदा प्रविष्टियों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा: (किए गए परिवर्तन मोटे अक्षरों में हैं)

क्रम सं०	प्रशुल्क मद एचएस कोड	इकाई	मद विवरण	मौजूदा नीति	संशोधित नीति	नीतिगत शर्त
188	44039918 44079990	कि० ग्रा०	निम्नलिखित क्रम सं० 188क [निजी भूमि (पट्टा भूमि सहित) से प्राप्त कृषि मूल के] और	निषिद्ध	निषिद्ध	निर्यात की अनुमति नहीं। तथापि, आन्ध्र प्रदेश सरकार, राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई), तमिलनाडु सरकार, महाराष्ट्र और कर्नाटक

			<p>क्रम सं० 189 [वैध स्रोतों से प्राप्त रेड सैन्डर्स वुड के विनिर्दिष्ट मूल्य वर्धित उत्पाद और रेड सैन्डर्स वुड से बने अन्य हस्तशिल्प को छोड़कर) किसी भी रूप में रेड सैन्डर्स वुड (आरएसडब्ल्यू), चाहे वे कच्चे, संसाधित या गैर-संसाधित हों।</p>			<p>सरकार को स्वयं अथवा इनके द्वारा इसके लिए प्राधिकृत किसी फर्म/फर्मों द्वारा जब्त किए गए/कब्जा में लिए गए भंडार में से क्रमशः 8498.095 मीट्रिक टन, 1200 मीट्रिक टन, 299.732 मीट्रिक टन, 83.40 मीट्रिक टन तथा 186.588 मीट्रिक टन रेड सैन्डर्स वुड (लट्टे रूप में) के निर्यात के लिए एककालिक छूट प्रदान की गई है।</p> <p>आन्ध्र प्रदेश सरकार और डीआरआई: दिनांक 29.08.2016 की अधिसूचना सं० 24 और दिनांक 23.05.2017 की अधिसूचना सं० 08/2015-20 के साथ पठित दिनांक 24.10.2013 की अधिसूचना सं० 47 महाराष्ट्र सरकार और तमिलनाडु सरकार: दिनांक 02.09.2016 की अधिसूचना सं० 25/2015-2020 कर्नाटक सरकार: दिनांक 27.11.2017 की अधिसूचना सं० 40/2015-20]</p>
--	--	--	---	--	--	--

3. निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची-2 के अध्याय 44 में क्रम सं० 188 के नीचे क्रम सं० 188क पर नई प्रविष्टि निम्नानुसार शामिल की जाती है:-

क्रम सं०	प्रशुल्क मद एचएस कोड	इकाई	मद विवरण	मौजूदा नीति	संशोधित नीति	नीतिगत शर्त
188	4403 99 18 4407 99 90	कि० ग्रा०	अनन्य रूप से निजी भूमि (पट्टा भूमि सहित) से प्राप्त कृषि मूल के लट्टा रूप में और जड़ रूप में रेड सैन्डर्स वूड	निषिद्ध	प्रतिबंधित	<p>निम्नलिखित शर्तों/प्रलेखन के अध्यक्षीन लाइसेन्स के तहत निर्यात की अनुमति:</p> <p>(i) निर्यात लाइसेन्स के लिए आवेदन पत्रों के साथ उस राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) द्वारा जारी उद्गम प्रमाण की अभिप्रमाणित प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए जहां से स्टॉक खरीदा/निर्यात किया गया जिसमें वैध स्रोतों से खरीद की तारीख और खरीदी गई मात्रा का विवरण हो;</p> <p>(ii) पीसीसीएफ द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामित प्राधिकारी द्वारा भंडारों के वास्तविक सत्यापन के बाद दिया गया ऐसी खरीद और आवेदक के पास उपलब्ध भंडारों की</p>

					<p>वर्तमान स्थिति का प्रमाण—पत्र भी निर्यात लाइसेन्स हेतु आवेदन के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।</p> <p>(iii) निर्यात लाइसेन्स जारी करने के लिए आवेदन पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाना चाहिए जो अन्य किसी शर्तों जैसे एमईपी, साइट्स के अंतर्गत मात्रात्मक सीमा की शर्त, जैसाकि समय-समय पर निर्धारित किया जाए, के अध्यक्षीन होंगे;</p> <p>(iv) भारतीय साइट्स प्रबंधन प्राधिकरण की सिफारिश के अनुसार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एक वार्षिक कोटा निर्धारित करेगा जिसकी एनडीएफ अध्ययन या सरकारी एजेंसियों की सिफारिशों के आधार पर समीक्षा की जा सकती है;</p>
--	--	--	--	--	---

4. निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची-2 के अध्याय 44 में क्रम सं० 189 के सामने मौजूदा प्रविष्टि को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा: **(किए गए परिवर्तन मोटे अक्षरों में हैं)**

क्रम सं०	प्रशुल्क मद एचएस कोड	इकाई	मद विवरण	मौजूदा नीति	संशोधित नीति	नीतिगत शर्त
189	3203 00 90 3805 10 10 9202 10 00 9202 90 00 9205 10 00 9205 90 90 9208 10 00 9208 90 00 9206 00 00 9208 10 00 9209 92 00 9209 94 00 9209 99 00 9403 90 00 4420 90 90 4421 90 90	कि० ग्रा०	(i) सरकारी अभिकरणों द्वारा जब्त/कब्जे में ली गई नीलाम की गई सामग्री से; (ii) निजी भूमि (पट्टा भूमि सहित) से प्राप्त कृषि मूल से विधिक स्रोतों से खरीदी गई रेड सैन्डर्स वुड के मूल्य वर्धित उत्पाद जैसे कि चिप्स, पाउडर, अर्क, डाय, संगीत वाद्ययंत्र, संगीत वाद्ययंत्र के पुर्जे, फर्नीचर, फर्नीचर के विभिन्न आकार के पुर्जे (अधिकतम क्रॉस सेक्शन: आकार: 15 सेमी x 15 सेमी, तख्त: 20 सेमी x 7.5 सेमी और अधिकतम लंबाई 2.5 मीटर), खिलौने, गुडिया और रेड सैन्डर्स वुड से बने अन्य हस्तशिल्प	प्रतिबंधित	प्रतिबंधित (कोई परिवर्तन नहीं)	<p>निम्नलिखित शर्तों/प्रलेखन के अध्यक्षीन लाइसेन्स के तहत निर्यात की अनुमति:</p> <p>(i) निर्यात लाइसेन्स के लिए आवेदन पत्रों के साथ उस राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) द्वारा जारी उद्गम प्रमाण की अभिप्रमाणित प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए जहां से स्टॉक खरीदा/निर्यात किया गया जिसमें वैध स्रोतों से खरीद की तारीख और खरीदी गई मात्रा का विवरण हो;</p> <p>(ii) पीसीसीएफ द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामित प्राधिकारी द्वारा भंडारों के वास्तविक सत्यापन के बाद दिया गया ऐसी खरीद और आवेदक के पास उपलब्ध भंडारों की वर्तमान स्थिति का प्रमाण—पत्र भी निर्यात लाइसेन्स हेतु आवेदन के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।</p> <p>(iii) निर्यात लाइसेन्स जारी करने के लिए आवेदन पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाना चाहिए जो अन्य किसी शर्तों जैसे</p>

						एमईपी, साइट्स के अंतर्गत मात्रात्मक सीमा की शर्त, जैसाकि समय-समय पर निर्धारित किया जाए, के अध्यक्ष होंगे;
--	--	--	--	--	--	---

5. **इस अधिसूचना का प्रभाव:**

अनन्य रूप से निजी भूमि (पट्टा भूमि सहित) से प्राप्त कृषि मूल से लिए गए रेड सैंडर्स वुड की निर्यात नीति को निर्यात को बढ़ावा देने हेतु लड्डे रूप में, जड़ रूप में और मूल्य वर्धित उत्पादों के रूप में रेड सैंडर्स वुड के निर्यात को अनुमति देने के लिए अधिसूचित किया गया है।

[फा. सं. 01/91/180/03/एएम-19 ईसी]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18 February, 2019

No. 56/2015-2020

Subject: Export Policy of Red Sanders wood exclusively sourced from cultivation origin obtained from private land (including Pattaland) – regarding

S.O. 899(E).—Whereas In exercise of powers conferred by Section 3 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the export policy of Red Sanders wood under Chapter 44 of ITC (HS), 2018, Schedule – 2 (Export Policy).

2. The **existing entries against Sl. No. 188** in Chapter 44 of Schedule 2 of ITC (HS) Classification of Export & Import Items shall be substituted as follows: (**changes made are in bold letters**)

Sl. No.	Tariff Item HS Code	Unit	Item Description	Present Policy	Revised Policy	Policy Condition
188	4403 99 18 4407 99 90	Kg.	Red Sanders wood (RSW) in any form, whether raw, processed or unprocessed, except at Sl. No. 188A [of cultivation origin obtained from private land (including Pattaland)] and Sl. No. 189 [specified value added products of RSW and other handicrafts made from RSW procured from legal sources] below	Prohibited	Prohibited	Not Export permitted to be exported. However, one time relaxation has been granted to Govt. of Andhra Pradesh, Directorate of Revenue Intelligence (DRI), Govt. of Tamil Nadu, Govt. of Maharashtra and Government of Karnataka for export of 8498.095 MTs, 1200 MTs, 299.732 MTs, 83.40 MTs and 186.588 MTs respectively of Red Sanderswood (in log form) obtained out of confiscated/seized stock, either by itself or through any entity / entities so authorized by them.

						<p>Government of Andhra Pradesh and DRI : Notification No. Notification No. 47 dated 24.10.2013 read with Noti No. 24 dated 29.08.2016 and Noti No. 08/2015-20 23.05.2017</p> <p>Govt. of Maharashtra and Tamil Nadu : Notification No. 25 /2015-20 dated 02.09.2016] Govt. of Karnataka: Notification No. 40 /2015-20 dated 27.11.2017]</p>
--	--	--	--	--	--	--

3. A new entry at Sl. No. 188A is inserted below Sl. No. 188 in Chapter 44 of Schedule 2 of ITC (HS) Classification of Export & Import Items as follows :

Sl. No.	Tariff Item HS Code	Unit	Item Description	Present Policy	Revised Policy	Policy Condition
188 A	4403 99 18 4407 99 90	Kg	Red Sanders wood in log form and roots, exclusively of cultivation origin obtained from private land (including Pattaland)	Prohibited	Restricted	<p>Export permitted under license subject to the following conditions /documentation :</p> <p>(i) Applications for export license should be accompanied by attested copies of certificate of origin issued by the Principal Chief Conservator of Forests (PCCF) of the State from where the stocks were procured / exported, giving details of the date of procurement from legal sources and quantities procured;</p> <p>(ii) A certificate of the current position of stocks so procured and available with the applicant given after physical verification of the stocks, by the authority nominated for the purpose by the PCCF, should also accompany application for export license.</p> <p>(iii) The applications shall be considered on merits for issue of export license, which shall be subject to any other conditions such as MEP, quantity ceilings requirements under CITES, etc. as may be prescribed from time to time;</p> <p>(vii) As per the recommendation of CITES Management Authority India, the MOEF&CC will fix an yearly quota, which may be reviewed based on NDF study or recommendations of the Government agencies;</p>

4. The existing entry against Sl. No. 189 in Chapter 44 of Schedule 2 of ITC (HS) Classification of Export & Import Items shall be substituted as follows: **(changes made are in bold letters)**

Sl. No.	Tariff Item HS Code	Unit	Item Description	Present Policy	Revised Policy	Policy Condition
189	3203 00 90 3805 10 10 9202 10 00 9202 90 00 9205 10 00 92059090 9208 10 00 9208 90 00 9206 00 00 9208 10 00 9209 92 00 9209 94 00 9209 99 00 9403 90 00 4420 90 90 4421 90 90	Kg.	Value added products of Red Sanders wood such as Chips, Powder, Extracts, Dyes, Musical Instruments, Parts of Musical Instruments, Furniture, Parts of various sizes of furniture (maximum cross section: sizes: 15 cm X 15 cm; Planks: 20 cm X 7.5 cm and maximum length 2.5 Mtrs), toys, dolls & other handicrafts made from Red Sanders wood procured from legal sources (i) from confiscated / seized material auctioned by Government Agencies; (ii) from cultivation origin obtained from private land (including Pattaland).	Restricted	Restricted (no change)	Export permitted under license subject to the following conditions /documentation : (i) Applications for export license should be accompanied by attested copies of certificate of origin issued by the Principal Chief Conservator of Forests (PCCF) of the State from where the stocks were procured / exported, giving details of the date of procurement from legal sources and quantities procured; (ii) A certificate of the current position of stocks so procured and available with the applicant given after physical verification of the stocks, by the authority nominated for the purpose by the PCCF should also accompany application for export licence; (iii) The applications shall be considered on merits for issue of Export Licence, which shall be subject to any other conditions such as MEP, quantity ceilings requirements under CITES, etc. as may be prescribed from time to time.

5. **Effect of this Notification:**

Export Policy of Red Sanders wood exclusively sourced from cultivation origin obtained from private land (including Pattaland) has been notified to allow exports of Red Sanders wood in log form, roots and value added products to facilitate exports.

[F.No. 01/91/180/03/AM-19/EC]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade
& Ex- Officio Addl. Secy.